

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1041/2023

संध्या जोशी (कर्मचारी आई.डी.- आरजेबीडब्ल्यू199208009957)

—अपीलार्थी

बनाम

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2023

आदेश की दिनांक : 04.05.2023

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोढवाल, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अध्यापिका लेवल-प्रथम के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), बोराना, रायपुर, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी पूर्व में रा.बा.उ.मा. विद्यालय, रायपुर में कार्यरत थी। बाद में उक्त विद्यालय को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में रूपांतरित कर दिया गया, जिससे अपीलार्थी को अधिशेष बताया जाकर दिनांक 03.09.2022 को पदस्थापन की प्रतीक्षा में सीबीईओ कार्यालय रायपुर हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया था तथा बाद में प्रत्यर्थागण के आदेश दिनांक 18.10.2022 द्वारा अपीलार्थी को रा.बा.उ.मा. विद्यालय, बोराना में पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), रायपुर को रूपांतरण से मुक्त कर दिया गया है एवं उक्त विद्यालय पूर्व की भांति रा.बा.उ. मा.वि. रायपुर के रूप में संचालित हो रहा है। अतः अपीलार्थी का अन्यत्र समायोजन किया जाना उचित नहीं रहता है। उनका यह भी तर्क है कि उक्त विद्यालय में अध्यापक लेवल-1 का एक पद रिक्त है। जिस पर अपीलार्थी को

पुनः समायोजित किया जाये। इस संबंध में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दो बार अपने अभ्यावेदन भी प्रस्तुत कर चुकी है, परंतु उनका अभी तक कोई हल नहीं हुआ है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)